

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप-5) विभाग

क्रमांक: प. 19(7)गृह-5/2015

जयपुर, दिनांक : 09.12.2015

आदेश

इस विभाग द्वारा जारी समसंख्यक पत्र दिनांक 15.11.2011 की निरन्तरता में जारी परिपत्र दिनांक 25.08.2015 द्वारा प्रसारित दिशा-निर्देश की मद संख्या-1 के अनुसार सी.बी.आई. अनुसंधान दलों को समस्त संसाधन यथा कार्यालय, वाहन, दूरभाष, फ़ैक्स, कम्प्यूटर, टहरने हेतु आवास, आवश्यक सुरक्षा आदि उपलब्ध कराने की कार्यवाही पुलिस मुख्यालय द्वारा प्रतिपादित की जाने के आदेश है। इसके संबंध में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि उक्त सभी संसाधन/सुविधायें उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी पुलिस मुख्यालय एवं संबंधित पुलिस कमिश्नर/पुलिस अधीक्षकों की होगी।

2. अतः सी.बी.आई. अनुसंधान दलों को समस्त आवश्यक संसाधन एवं सुविधायें उपलब्ध करवाने की कार्यवाही पुलिस मुख्यालय एवं संबंधित पुलिस कमिश्नर/पुलिस अधीक्षकों के द्वारा तुरन्त प्रभाव से सुनिश्चित की जायेगी।

3. यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(कैलाश चन्द गुप्ता)

वरिष्ठ शासन उप सचिव-सुरक्षा

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, माननीया मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय गृहमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
4. प्रमुख शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. प्रमुख शासन सचिव, पर्यटन (आर.टी.डी.सी.) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. निदेशक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, सीजीओ काम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली।
7. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (अपराध), राजस्थान, जयपुर।
8. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, आयोजना एवं कल्याण, राजस्थान, जयपुर।
9. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (कानून-व्यवस्था), राजस्थान, जयपुर।
10. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
11. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
12. समस्त महानिरीक्षक पुलिस रेंज, राज0/पुलिस आयुक्त, जयपुर/जोधपुर।
13. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक, राज0/पुलिस उपायुक्त, जयपुर/जोधपुर।

वरिष्ठ शासन उप सचिव-सुरक्षा

प्रमाणित

(जगदीप सिंह कुरावाह)
वरिष्ठ शासन उप सचिव